

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 47 /2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 14 जून, 2018

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

- (1) क्रम सं. 61 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "35%" रखी जाएगी ;
- (2) क्रम सं. 62 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "45%" रखी जाएगी ;
- (3) क्रम सं. 63 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "35%" रखी जाएगी ;
- (4) क्रम सं. 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"64	1508, 1510, 1512 (सिवाय 1512 19 10), 1513, या 1515	सभी सामान, परिष्कृत और खाद्य ग्रेड	45%	-	-
64 क	1509	सभी सामान, परिष्कृत और खाद्य ग्रेड	40%	-	-";

- (5) क्रम सं. 70 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "35%" रखी जाएगी ;
- (6) क्रम सं. 71 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "45%" रखी जाएगी ;
- (7) क्रम सं. 73 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "35%" रखी जाएगी ;
- (8) क्रम सं. 74 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "45%" रखी जाएगी ;
- (9) क्रम सं. 77 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "45%" रखी जाएगी ;
- (10) क्रम सं. 79 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "45%" रखी जाएगी ;

[फा.सं0 354/203/2012-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यां 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जो अधिसूचना सं0 46/2018-सीमाशुल्क, तारीख 23 मई, 2018 सा.का.नि. 476 (अ), तारीख 23 मई, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।